भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4107

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग

4107 श्री के. सी. वेणुगोपाल :

श्री संजय सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायिक प्रक्रिया और डिजिटल अभिलेख प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली उन्नत प्रौद्योगिकी, विशेषकर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और कृत्रिम आसूचना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ई-न्यायालय परियोजना के अंतर्गत न्याय निर्णयण-तंत्र के साथ इन प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रारंभ करने और इनका एकीकरण करने की संभावनाओं का पता लगा रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह मामलों का शीघ्र निपटान करने में सहायक होगा ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को सक्षम करने के व्यापक कम्प्यूटरीकरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अपने उद्देश्य के साथ, न्याय विभाग भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ निकट समन्वय में ई- न्यायालय मिशन मोड परियोजना को लागू कर रहा है। न्यायिक क्षेत्र में कृत्रिम आसूचना (एआई) के उपयोग का पता लगाने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कृत्रिम आसूचना समिति का गठन किया है, जिसने मुख्य रूप से न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद, विधिक अनुसंधान सहायता और प्रक्रिया स्वचालन में एआई तकनीक के अनुप्रयोग की पहचान की है। तथापि, ई-न्यायालय चरण-2 में, जो 2015 से क्रियान्यवयन के अधीन है, एआई और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : चूंकि ई-न्यायालय परियोजना का चरण-2 समाप्त हो रहा है, ई-न्यायालय परियोजना चरण-3 के लिए उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा एक मसौदा विजन दस्तावेज विरचित किया गया है। इस दस्तावेज़ के आधार पर, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। डीपीआर के मसौदे में, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने एआई और ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग के बारे में उल्लेख किया है।

(घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण,साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं। कई अन्य कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रैक और बहु मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं। तथापि, डीपीआर के मसौदे के अनुसार,एआई का उपयोग भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, स्वचालित फाइलिंग, मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग, मामला सूचना प्रणाली को बढ़ाने और चैटबॉट्स के माध्यम से वादियों के साथ संवाद करने के लिए किया जा सकता है जो मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता कर सकता है।

****